संख्या–676/XIX/सीसीएल/2005

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग   देहरादूनः दिनांकः 28 अप्रैल, 2005

विषयः रबी खरीफ सत्र 2005–06 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद हेतु सी0सी0एल0 के अन्तर्गत धनराशि के आहरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के फैक्स संदेश दिनांक 07–4–2005 तथा वित्त मंत्रालय भारत सरकार आर्थिक कार्य विभाग (बजट विभाग) के पत्र सं0–एफ–11(5)–बी(एस)/05 दिनांक 25 अप्रैल, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय रबी खरीफ सत्र 2005–06 के अन्तर्गत किसानों से गेहूँ क्रय हेतु 30 अप्रैल, 2005 तक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार आर्थिक कार्य विभाग (बजट विभाग) द्वारा स्वीकृत सी0सी0एल0 की सीमा के अन्तर्गत रू0 22.00 करोड़ (रूपये बाइस करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो के साथ व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. धनराशि का आहरण तात्कालिक वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाये।
2. सी0सी0एल0 से धनराशि आहरित कर सर्वप्रथम लेखाशीर्षक–4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डारगारण पर पूंजीगत परिव्यय में डाली जाये एवं इस बजट मद से आहरित की जाये ताकि सी0सी0एल0 धनराशि राज्य की समेकित निधि का भाग बन जाये।
3. जिस तिथि को यह धनराशि सी0सी0एल0 से प्राप्त हो, उसी तिथि को लेखाशीर्षक–4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय पर जमा की जाये ताकि राज्य के कैश फ्लो पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
4. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा उनके निस्तारण पर रखी गयी रू0 22.00 करोड़ (रूपय बाइस करोड़ मात्र) की धनराशि का आहरण यथा आवश्यकतानुसार संभागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ संभाग तथा निबंधक सहकारिता से प्रस्ताव प्राप्त कर वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा ताकि किसानों से खरीदे गये गेहूँ का भुगतान भी नियमित रूप से होता रहे तथा राज्य सरकार के ऊपर ब्याज का अतिरिक्त भार न पड़े।
5. स्वीकृत धनराशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त होते ही उसी तिथि प्राप्तियों को लेखाशीर्षक-4408–खाद्य भण्डारण एवं भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय में वित्त नियंत्रक/संभागीय लेखाधिकारियों द्वार जमा किया जायेगा।

........2

6. इस धनराशि से संबंधित लेखे व्यापार लेखा (ट्रेडिंग एकाउण्ट) के रूप में रखे जायेंगे तथा प्रतिमाह ट्रायल बैलेंस तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त हानि-लाभ लेखा बनाया जायेगा।
7. आवंटित बजट/साख-सीमा के सापेक्ष वास्तविक व्यय विवरण से संबंधित सभी अभिलेख महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद को प्रेषित किया जायेगा तथा पुस्तांकित आंकड़ों का शत-प्रतिशत मिलान उनके द्वारा किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2005-06 के अनुदान सं0-25 के लेखाशीर्षक 4408-खाद्य भण्डारण एवं भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय-01-खाद्य-आयोजनेत्तर-101-खरीद और पूर्ति-03 अन्न पूर्ति योजना- 31 सामग्री और सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्या-696 (1) /XIX/सीसीएल/2005तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
3. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
4. अपर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
5. संभागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ/गढ़वाल संभाग, हल्द्वानी/देहरादून।
6. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर, देहरादून, चम्पावत, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी,
7. सहायक आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल संभाग, हल्द्वानी/देहरादून।
8. संभागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, कुमायूँ/गढ़वाल संभाग, हल्द्वानी/देहरादून।
9. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, देहरादून।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर।
11. निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तरांचल।
12. समन्वयक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\...CCL.doc